

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :- बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या 54/2016 (RCMS No. 2016/00153)

प्रार्थीगण

1. रविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरंपच ग्राम पंचायत खारिया पंचायत समिति कुचामनसिटी नागौर
2. पटवारी हल्का खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. केशर कंवर पत्नि भूरिया जाति दरोगा निवासी खारिया तथाकथित पत्नि उम्मेदसिंह राजपूत
4. मातादीन माता केशर कंवर पिता भूरिया जाति दरोगा निवासी खारिया तथाकथित पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत
5. उप पंजियक कुचामनसिटी

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र वास्ते स्थगन अन्तर्गत 34 RRCM राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956

उपस्थित - श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।


श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 एवं 4 की ओर से।

आदेश


दिनांक :- 30.09, 2018

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपरोक्त शीर्षक में वर्णित नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 विरुद्ध अपील आक्षेप वर्णित करते हुये माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है, मौजा खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 933/273 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर कृषि भूमि श्री उम्मेदसिंह की खातेदारी व कब्जे काशत में आयी है, प्रार्थी के दत्तक पिता श्री

....2....


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया का हिन्दू रिती रिवाजों के अनुसार श्रीमति सुगनकंवर से पवित्र अग्नि के सामने सात फेरे लेकर धार्मिक मन्त्रोच्चार के साथ विधिवत चैत्र सुदी 9 सम्बत 1990 में लगभग 83 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था विवाहोपरान्त श्री उम्मेदसिंह के संसर्ग से प्रार्थी जीवित पुत्र व पुत्री के उत्पन्न नही होने के कारण प्रार्थी को बचपन में ही नैसर्गिक माता पिता की मौखिक सहमति से मिताक्षर हिन्दू विधि एवं कुचामन-निमोद के राजपूत समाज में प्रचलित स्थानीय प्रथाओं, परम्पराओं एवं रूढ़ियों का अनुसरण करते हुये श्री उम्मेदसिंह ने प्रार्थी को परिवार व राजपूत समाज के व्यक्तियों के समक्ष नैसर्गिक माता-पिता से लेकर गोद ले लिया गया, प्रार्थी बचपन से ही उम्मेदसिंह के साथ निवास करने लगा, प्रार्थी के दत्तक पिता श्री उम्मेदसिंह के साथ निवास करने लगा, प्रार्थी के पिता श्री उम्मेदसिंह ने प्रार्थी को विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद ग्रहण करने की ताईद स्वरूप सम्बत 2047 मिति मगसर सुदी 5 वार बृहस्पतिवार को खारिया निमोद राठौड़ वंश के वंशावली के लेखक राव नादानसिंह निवासी घोलेराव खुर्द तहसील मेड़ता सिटी की बही में गांव खारिया तहसील नावां के राठौड़ राजपूत समाज के उपस्थित जन समूह के बीच में केसरीसिंह, अजयपालसिंह सुल्तानसिंह और सुगनसिंह के रूबरू साख लेकर लिखावट करवा दी, इसके बाद जब प्रार्थी की उम्र 11 वर्ष की थी तब श्री उम्मेदसिंह द्वारा धार्मिक विधि व सामाजिक परम्पराओं के अनुसार गोद लेने देने व वसीयत की याददास्ती के तौर पर सोच समक्ष कर बिना किसी डर, दवाब व बिना किसी नशे पते के स्वस्थचित व स्थिर बुद्धि से लिखित गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनांक 04.04.1996 को उपस्थित गवाहों के सामने पंजिबद्ध करवा दिया ताकि इस बाबत उनके नाते रिश्तेदार उज्र ऐतराज करने पर उनका उज्र ऐतराज गैर कानूनी एवं प्रभावहीन समझा जावे, इस प्रकार श्री उम्मेदसिंह एवं अपीलान्त के मध्य क्रमशः पिता पुत्र का सम्बन्ध है इसके बावजूद ग्राम पंचायत खारिया द्वारा पटवारी हल्का अभिलेख निरीक्षक कुचामनसिटी से सांठ-गांठ करके बिना प्रार्थी के पक्ष को सुने यह जानते हुये भी नामान्तरकरण में मृतक खातेदार उम्मेदसिंह का गोद पुत्र प्रार्थी मौजूद है और अप्रार्थी सं. 3 व 4 भूरिया दरोगा की पत्नि व पुत्र होने के कारण मृतक के उत्तराधिकारियों की श्रेणी में नही होने के बावजूद प्रार्थी के पक्ष को सुने बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर फर्जी तरीके से नामान्तरकरण प्रविष्टि दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई जो ग्राम पंचायत खारिया के विधिक अधिकार से बाहर होने के कारण आक्षेपित नामान्तरकरण काबिल खारिज है इसलिए विधि सिद्धान्तों एवं विधि नियम एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं ग्रामीणों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित है यदि मूल अपील की सुनवाई तक आक्षेपित ग्राम पंचायत खारिया की नामान्तरकरण पंजिका में अंकित नामान्तरकरण



उपपंचायत अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

.....3..... प्रा. पत्र (T.I.) सं. 54/2016 रविन्द्रसिंह बनाम ग्रा.प. खारिया प्रविष्टि 441 की स्वीकृति दिनांक 20.10.2016 को स्थगित करते हुए विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा उक्त अवैध एवं विधिविरुद्ध नामान्तरकरण आदेश का दुरुपयोग कर अप्रार्थीगण अपील की सुनवाई के दौरान अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण,भारग्रस्त किस्म परिवर्तन तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे इससे वाद बाहुल्यता का विस्तार होगा, प्रार्थी अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा और प्रार्थी की अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा जिससे प्रार्थी अपीलार्थी को भारी असुविधाओ एवं प्रार्थी को कभी भी पूर्ति नही होने वाली नुकसानो का सामना करना पड़ेगा जबकि उपर्युक्त अनुसार स्थगन आदेश पारित करने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नही होगी। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम खारिया पटवार मण्डल खारिया भू- अभिलेख निरीक्षक कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 933/273 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर के सम्बन्ध में मूल अपील की सुनवाई तक आक्षेपित ग्राम पंचायत खारिया द्वारा ग्राम खारिया की नामान्तरकरण पंजिका में अंकित नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 को स्थगित करते हुये विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी फरमावे तथा अप्रार्थी संख्या 5 किसी प्राकर के दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नही करें।

प्रार्थना-पत्र में दिनांक 24.10.2016 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 4, 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत होकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं. 4 एवं 5 द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा काशत नही रहा है, उम्मेदसिंह के दो पत्निया थी, पूर्व पत्नि सुगन कंवर के कोई जायन्दा सन्तान नही होने से उन्होने केशर कंवर के साथ विवाह कर लेने पर उनके जाईन्दा पुत्र अप्रार्थी सं. 4 मातादीनसिंह पैदा हुआ है जो कि उम्मेदसिंह का जाईन्दा पुत्र संतान है जब

....4.....


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

स्वयं उम्मेदसिंह के पुत्र सन्तान होते हुए प्रार्थी को गोद लेने का प्रश्न ही नहीं बनता जो कि गोद लेने का कानूनन ही अधिकार नहीं था न ही कभी प्रार्थी को गोदी पुत्र रखा है यह कथन स्व. उम्मेदसिंह जी ने प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा के यहाँ एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था उसके जवाब दावे में कही है कि मैंने किसी को कभी गोदी पुत्र नहीं रखा है व मेरे साथ छल-कपट, करके मुझे तहसील कार्यालय में लेकर गये, वसीयत लिखाई गई जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, उसी में ही गोदनामा लिख दिया गया जो कि सरासर झूठा गलत है उसको भी दिनांक 17.08.2001 को वसीयत को निरस्त करा दिया गया है इस प्रकार प्रार्थी कभी भी स्व. उम्मेदसिंह का गोदी पुत्र नहीं रहा है उपरोक्त प्रार्थना-पत्र मिथ्या कथन प्रस्तुत किये गये हैं, जवाब मय आपत्ति पेशकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत खारिया द्वारा ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 933/273 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.10.2016 स्व. उम्मेदसिंह के स्थान पर भरा गया जाईन्दा पुत्र मातादीनसिंह व पत्नि केशर कंवर के नाम से जो सही है उक्त नामान्तरकरण को बहाल यथावत रखते हुए उक्त अपील को मय हर्जे-खर्चे खारिज फरमाया जावे जिससे उत्तरदाता के साथ न्याय हो सके।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से चालू जमाबन्दी नकल की छाया प्रति, नामान्तरकरण सं. 441 की छाया प्रति प्रस्तुत हुई, अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से फार्म नं. 3 के साथ 48 दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गईं। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई जिन्होंने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 1.36 हैक्टर में खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 933/273 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर उम्मेदसिंह पुत्र सबलसिंह जाति

राजपूत की खातेदारी की दर्ज चली आई है, जिसमें उम्मेदसिंह की मृत्यु दिनांक 24.04.2003 को हो जाने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 441 ग्राम पंचायत खारिया द्वारा दिनांक 20.10.2016 को प्रस्ताव संख्या 2 अनुसार केशर कंवर पत्नि उम्मेदसिंह मातादीनसिंह पुत्र उम्मेदसिंह के नाम स्वीकृत कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गोदनामा वसीयतनामा दिनांक 4.4.1996 को उम्मेदसिंह द्वारा उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में पंजिबद्ध हुआ है जो प्रार्थी के पक्ष में पंजिबद्ध हुआ है जिससे उपरोक्त भूमि में प्रार्थी को सम्पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए थे। अप्रार्थी सं. 3 व 4 उम्मेदसिंह की पत्नि व पुत्र होने से उक्त नामान्तरकरण उनके पक्ष में हुआ है। प्रश्नगत खसरा से संबंधित नामान्तरकरण अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पक्ष में स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज हो चुकी है, परन्तु प्रश्नगत खसरा को लेकर प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में उपरोक्त नामान्तरकरण को चुनौति दी गई है तथा अपील के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का जिक्र किया गया है। प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर नामान्तरकरण अपील विचाराधीन है तथा अपील के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड एवं मौका यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पक्षकारान को न्यायहित में पांबद किया जाना आवश्यक है जिससे पक्षकारान में मध्य आपसी विवाद उत्पन्न नहीं हो तथा मौके पर शान्ति कायम रह सके। अतः प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः दोनो पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला नामान्तरकरण अपील पाबंद किया जाता है कि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 266 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 267 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 269 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 933/273 हैक्टर कुल रकबा 0.55 हैक्टर में मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उप पंजीयक कुचामनसिटी दोनो पक्षकारान (प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 3 एवं 4 के हिस्से तक) किसी भी प्रकार के प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज का पंजियन स्वीकार नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 30/9/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)